

18/5/22

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता
उप। शिकायतकर्ता कुणाल स्वयं उप।
शिकायतकर्ता को उसके अधिवक्ता द्वारा पत्रावली
गया तथा शिकायतकर्ता का आधार कार्ड
की प्रति अभिलेख पर ली गई। शिकायत
कर्ता ने निवेदन किया कि विवादित भूमि
के सम्बन्ध में बाद उपजिला कलक्टर
श्यासिंहनगर के न्यायालय में विचाराधीन
है। वह इस प्रकरण में कोर्ट कार्यवाही नहीं
चाहता है। सुना गया। शिकायतकर्ता द्वारा
हस्तागत प्रॉपत्र पर कोर्ट कार्यवाही नहीं चाहिए
तथा विवादित भूमि के सम्बन्ध में बाद
विचाराधीन होने से हस्तागत प्रकरण
खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित
दर्जित कर नम्बर से काम की जाकर
बादतकमिल जिला अभिलेखागार में जमा
करवाई जावे। आदेश सुनाया गया।

कुणाल स्वयं

18/5/22